समितियां स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को राजी करना।

(ग) सूती यार्न की ऊंची कीमतों से कपड़े की विपणन क्षमता और बुनकरों की मजदूरी प्रभावित हुई है।

Irrigation Schemes from Maharashtra Pending Clearance

283. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what are the details of the irrigation schemes received from Maharashtra Government which are pending with the Central Government for clearance on account of inter-State disputes, financial disputes, environmental objections and Centre-State differences ;

(b) by when these schemes are likely to be cleared ;

(c) whether Government propose to convene a conference of officials and Ministers of Centre and the concerned States to sort out differences and expedite the clearance of such projects; and

(d) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA) : (a) to (d) Out of 26 major and 46 medium projects received at the Centre, techno-economic appraisal of 14 major and 18 medium projects has been completed after discussions with the State's officers where necessary. The rest of the projects have been returned to the State Government on account of major deficiencies in the proposals and for want of compliance of the remarks for over more than a year.

उच्च न्यायालयों में शस्त्रों को अपने साथ ले जाने की अनुमति-प्राप्त व्यक्ति

284. डा० रत्नाकर पाण्डेय: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उच्च न्यायालयों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कुछ अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को शस्त्र ले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति हैं किन-किन परिस्थितियों में प्रदान की जाती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में एक निर्वाचित संसद सदस्य दिल्ली स्थित एक न्यायालय में सशस्त्र दाखिल हुए थे ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हां, 1-2-1990 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय में बलात प्रवेश किया गया था, जिसका ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कार्मिकों ने विरोध किया था। उच्चतम न्यायालय, गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा प्रबधों के संबंध मे समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों का पालन करता है।

पंजाब नेशनल बैंक, लुधियाना में डकैती से सम्बन्धित मामला

285. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 12 फरवरी, 1987 को पंजाब नेशनल बैंक की लुधियाना (पंजाब) स्थित शाखा में आतंकवादियों द्वारा डाली गयी डकैती में 5,68,91,416 रुपये (पांच करोड़ अड़सठ लाख इक्यानव हजार चार सौ सोलह रुपये) के लूटे जाने से संबंधित मामले की सुनवाई को पंजाब

से स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि पंजाब सरकार ने उक्त याचिका को वापिस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते): (क) केन्द्रीय जांच ब्यरो ने सूचित किया है कि दिनांक 9.2.90 को पंजाब नेशनल बैंक, लुधियाना डकैती मामले के मुकदमें के केन्द्र को बदलने से संबंधित 1989 की स्थानान्तरण याचिका 53- भारत के महान्यायवादी बनाम बलवीर सिंह एवं अन्य-वापस लिये गये मामले के रूप मे उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी थी। महान्यायवादी द्वारा उक्त याचिका को वापस लिये जाने का उल्लेख तकनीकी कारणों से किया गया था।

(ख) उक्त डकैती के मुकदमे के केन्द्र को स्थानान्तरित करने के लिये पूर्वोक्त स्थानान्तरण याचिका भारत के तत्कालीन महान्यायवादी द्वारा दिनांक 20-2-89 को उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24-4-89 को अतिरिक्त न्यायाधीश की अदालत, नामित अदालत, लुधियाना के समक्ष उपर्युक्त मामले में कार्यवाही स्थगित रखने की स्वीकृति प्रदान की थी। चूंकि कुछ तकनीकी कारणों से उक्त याचिका को वापस लेना उचित पाया गया था, इसलिये भारत संघ के अनुदेश प्राप्त होने के बाद भारत के महान्यायवादी ने दिनांक 9-2-90 को उच्चतम न्यायालय में उक्त याचिका वापस लेने का उल्लेख किया और अदालत ने वापस लिये गये मामले के रूप में उक्त याचिका खारिज कर दी।

अन्य विवरण लोक हित में नहीं दिये जा सकते, क्योंकि मुकदमे पर कार्यवाही चल रही है।

भारत में अफीम का स्टाक

286. डा. रत्नाकर पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अफीम का स्टाक इतना अधिक हो गया है कि अर्धन्यायिक अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड को विवश होकर अन्य देशों से यह अनुरोध करना पड़ा है कि वे अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के लिये भारत से अफीम का आयात करें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते): (क) और (ख) प्रश्न में यथा उल्लिखित अर्धन्यायिक अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग्स कन्ट्रोल बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। संभवतः यह संकेत अन्तर्राष्ट्रीय नार-कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड, वियना (आस्ट्रिया) के बारे में है।

भारत में अफीम का उत्पादन मुख्यतः निर्यातोन्मुखी है। भारतीय अफीम को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वैकल्पिक कच्ची सामग्री नामशः पोस्त, तृण (पापी-स्ट्रा) के सांद्रण से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात में कमी आई है तथा इसके उत्पादन को कम करने के लिये भारत द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद भी इसके भण्डार मे वृद्धि हुई है। विश्व में स्वापक कच्ची सामग्रियों की सप्लाई भी अधिक है।

स्वापक कच्ची सामग्री के अधिक भण्डार; विशेष रूप से भारत में अफीम के बहुत बड़े भण्डार से संबंधित समस्या को, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड ने भारत को स्वापक कच्ची सामग्रियों के चिरकालित पारस्परिक सप्लाई-कर्ता देशों में से एक देश के रूप में माना है तथा जिसकी सहायता किये जाने की आवश्यकता है। इस धारणा को आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (इकानामिक एंड सोशल काउन्सिल) के कई संकल्पों द्वारा भी स्वीकार किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खपत करने वाले देशों से पारस्परिक सप्लाईकर्ता देशों को सहायता करने के लिये अनुरोध करने के साथ-साथ उन उत्पादनकर्ता देशों से अपने-अपने उत्पादन को केवल अपनी